किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के प्रावधानों के तहत् जिलों में बाल कल्याण समिति में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित आवश्यक निर्देश

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के प्रावधानों के तहत प्रत्येक जिले में देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के प्रकरणों के निराकरण हेतु बाल कल्याण समिति का गठन किया जाना है। समिति पांच सदस्यीय (एक अध्यक्ष/04 सदस्य) होगी, जिसमें से एक पद महिला के लिए सुरक्षित है, समिति अधिनियम एवं नियमों में प्रदत्त शक्तियों व उत्तरदायित्व के तहत् जिले में देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के सर्वोत्तम हित में निर्णय लेंगे। समिति के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किये जाते है।

1. बाल कल्याण समिति के सदस्यों के लिए <u>अर्हताएं</u> :–

- 01/01/2021 को उम्र 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- शिक्षा, स्वास्थ्य या बाल कल्याण संबंधी क्रियाकलापों में बालकों के साथ कार्य करने का कम से कम सात वर्षों का अनुभव हो या
- बाल मनोविज्ञान या मनोरोग विज्ञान या सामाजिक विज्ञान या मानव विकास या सामाजिक कार्य या विधि क्षेत्र में डिग्री के साथ व्यवसायरत व्यक्ति (practicing professional) या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी होना चाहिए।

2. बाल कल्याण समिति के सदस्यों का कार्यकाल–

- समिति के सदस्यों का कार्यकाल नियुक्ति की तारीख से 03 वर्ष से अधिक नही होगा।

3. निम्न व्यक्ति बाल कल्याण समिति के सदस्य पद के लिए अपात्र होंगे।

1. मानव अधिकारों या बाल अधिकारों का अतिक्रमण किये जाने का कोई रिकॉर्ड हो
2. ऐसे किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है जिस में नैतिक अधमता अंतर्वलित है और ऐसी दोषसिद्धि को उलटा नहीं गया है या उसे उस अपराध के संबंध में पूर्ण क्षमा प्रदान नहीं की गई है,
3. उसे केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन किसी उपक्रम या निगम की सेवा से हटा दिया गया है या पदच्युत कर दिया गया है,
4. वह कभी बाल दुव्यर्वहार या बाल श्रम के नियोजन या किसी अन्य मानव अधिकारों के अतिक्रमण या अनैतिक कार्य में लिप्त रहा है,
5. समिति में रहते हुये दो कार्यकाल पूर्ण कर लिया गया हो अथवा समिति में लगातार दूसरा कार्यकाल हो।

निरंतर....2

4 **अन्य आवश्यक शर्तें/मापदण्ड–**

1. यह विज्ञप्ति शासकीय सेवा के लिए नहीं है।
2. समिति के अध्यक्ष/सदस्य को शासन द्वारा निर्धारित मानदेय का भुगतान किया जायेगा किसी भी प्रकार का अन्य भुगतान या भत्ते की पात्रता नहीं होगी। सदस्यों को साक्षात्कार स्थल पर स्वयं के व्यय पर उपस्थित होना होगा।
3. चयन समिति योग्यता, बालकों के साथ कार्य करने के अनुभव और अभ्यर्थी के साथ व्यक्तिगत वार्तालाप के आधार पर अभ्यर्थियों का मूल्यांकन करेगी। सदस्यों को साक्षात्कार स्थल पर स्वयं के व्यय पर उपस्थित होना होगा।
4. योग्य अभ्यर्थी निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर आयुक्त, संचालनालय महिला एवं बाल विकास कार्यालय भोपाल में निर्धारित तिथि तक रजिस्टर्ड पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकते है। निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त आवेदन मान्य नहीं किये जावेंगे।
5. अभ्यर्थी ऐसे पूर्णकालिक पद का धारक नही होना चाहिए, जो अधिनियम और नियमों के अनुसार समिति के कार्य के लिए व्यक्ति को आवश्यक समय और ध्यान देने की अनुमति न देता हो।
6. समिति के अध्यक्ष/सदस्य के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी बाल देखरेख संस्था से जुड़ा न हो।
7. अपने कार्यकाल के दौरान किसी राजनैतिक दल का पदाधिकारी न हो।
8. दिवालिया न हो।
9. समिति में अध्यक्ष/सदस्य के रूप में चयनित होने के उपरांत निर्धारित प्रशिक्षण करना अनिवार्य है प्रशिक्षण न करने की स्थिति में चयन निरस्त किया जा सकता है।
10. आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण पत्र स्वयं के द्वारा प्रमाणित होने चाहिए।
11. किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति हेतु पृथक–पृथक आवेदन मय दस्तावेज के मान्य होंगे। यदि आवेदक द्वारा एक से अधिक जिले हेतु आवेदन किया जाता है तो उसके लिए पृथक–पृथक आवेदन किया जाना अनिवार्य होगा। एक ही आवेदन में बोर्ड/समिति दोनो के लिए आवेदन किया जाता है तो आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा।
12. चयनित होने पर ज्वाईनिंग से पहले पुलिस चरित्र सत्यापन रिपोर्ट बाल संरक्षण अधिकारी/जिला कार्यक्रम अधिकारी को प्रस्तुत की जाना अनिवार्य होगी, तद्‌परांत ज्वाईनिंग ली जावेगी।
13. आवेदन निर्धारित प्रारूप में होना चाहिये तथा समस्त दस्तावेज विधिवत संलग्न होना चाहिये। आवेदन पूर्ण/विधिवत नही होने पर निरस्त कर दिया जावेगा।

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत जिलों में किशोर न्याय बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित आवश्यक निर्देश

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के प्रावधानों के तहत् प्रत्येक जिले में विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चो के संबंध में निर्णय लिये जाने हेतु किशोर न्याय बोर्ड का गठन किया जाना है। बोर्ड में सदस्य के दो पद है, जिसमें से एक पद महिला के लिए आरक्षित है, इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किये जाते है।

1. किशोर न्याय बोर्ड के सदस्यों के लिए अर्हताऐं :–

- 01/01/2021 को उम्र 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- शिक्षा, स्वास्थ्य या बाल कल्याण संबंधी क्रियाकलापों में बालकों के साथ कार्य करने का कम से कम सात वर्षो का अनुभव हो या बाल मनोविज्ञान या
- बाल मनोविज्ञान या मनोरोग विज्ञान या सामाजिक विज्ञान या विधि क्षेत्र में डिग्री प्राप्त व्यवसायरत व्यक्ति (practicing professional) होना चाहिए।

2. बोर्ड के सदस्यों का कार्यकालः–

- बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल नियुक्ति की तारीख से 03 वर्ष से अधिक नही होगा।

3. निम्न व्यक्ति किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य पद के लिए पात्र नहीं होंगेः–

1. मानव अधिकारों या बाल अधिकारों का अतिक्रमण किये जाने का कोई पिछला रिकॉर्ड हो,
2. ऐसे किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है जिसमें नैतिक अधमता अंतर्वलित है और ऐसी दोषसिद्धि को उलटा नहीं गया है या उसे उस अपराध के संबंध में पूर्ण क्षमा प्रदान नहीं की गई है,
3. उसे केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन किसी उपक्रम या निगम की सेवा से हटा दिया गया है या पदच्युत कर दिया गया है,
4. वह कभी बालक दुर्व्यापार या बाल श्रम के नियोजन या किसी अन्य मानव अधिकारों के अतिक्रमण या अनैतिक कार्य में लिप्त रहा है।
5. बोर्ड में रहते हुये दो कार्यकाल पूर्ण कर लिया गया हो अथवा बोर्ड में सदस्य के रूप में लगातार दूसरा कार्यकाल हो।

5 अन्य आवश्यक शर्तें/मापदण्ड–

1. यह विज्ञप्ति शासकीय सेवा के लिए नहीं है।
2. बोर्ड के सदस्यों को शासन द्वारा निर्धारित मानदेय का भुगतान किया जायेगा किसी भी प्रकार का अन्य भुगतान या भत्ते की पात्रता नहीं होगी।

निरंतर....2

3. चयन समिति योग्यता, बालकों के साथ कार्य करने के अनुभव और अभ्यर्थी के साथ व्यक्तिगत वार्तालाप के आधार पर अभ्यर्थियों का मूल्यांकन करेगी। सदस्यों को साक्षात्कार स्थल पर स्वयं के व्यय पर उपस्थित होना होगा।
4. योग्य अभ्यर्थी निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर आयुक्त, संचालनालय महिला एवं बाल विकास कार्यालय भोपाल में निर्धारित तिथि तक रजिस्टर्ड पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकते है। निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त आवेदन मान्य नहीं किये जावेंगे।
5. अभ्यर्थी ऐसे पूर्णकालिक पद का धारक नही होना चाहिए, जो अधिनियम और नियमों के अनुसार बोर्ड के कार्य के लिए व्यक्ति को आवश्यक समय और ध्यान देने की अनुमति न देता हो।
6. बोर्ड के सदस्य के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी बाल देखरेख संस्था से जुड़ा न हो।
7. अपने कार्यकाल के दौरान किसी राजनैतिक दल का पदाधिकारी न हो।
8. दिवालिया न हो।
9. बोर्ड में सदस्य के रूप में चयनित होने के उपरांत निर्धारित प्रशिक्षण करना अनिवार्य है प्रशिक्षण न करने की स्थिति में चयन निरस्त किया जा सकता है।
10. आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण पत्र स्वयं के द्वारा प्रमाणित होने चाहिए।
11. किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति हेतु पृथक–पृथक आवेदन मय दस्तावेज के मान्य होंगे। यदि आवेदक द्वारा एक से अधिक जिले हेतु आवेदन किया जाता है तो उसके लिए पृथक–पृथक आवेदन किया जाना अनिवार्य होगा। एक ही आवेदन में बोर्ड/समिति दोनो के लिए आवेदन किया जाता है तो आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा।
12. चयनित होने पर ज्वाईनिंग से पहले पुलिस चरित्र सत्यापन रिपोर्ट बाल संरक्षण अधिकारी/जिला कार्यक्रम अधिकारी को प्रस्तुत की जाना अनिवार्य होगी, तद्उपरांत ज्वाईनिंग ली जावेगी।
13. आवेदन निर्धारित प्रारूप में होना चाहिये तथा समस्त दस्तावेज विधिवत संलग्न होना चाहिये। आवेदन पूर्ण/विधिवत नही होने पर निरस्त कर दिया जावेगा।

JJB

किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य पद हेतु आवेदन पत्र

जिले का नाम, जिसके लिये आवेदन किया गया है:– ....

पासपोर्ट आकार का कलर फोटो चिपकाएं

1. पूरा नाम– ....

2. पिता/पति का नाम–...

3. जन्म तिथि(अंको एवं शब्दों में) –...(प्रमाण पत्र संलग्न करें।)

4. वर्तमान व्यवसाय ....

5. यदि व्यवसायरत कृतिक है तो वर्तमान में कहाँ कार्य कर रहे है।(प्रमाण पत्र संलग्न करें।)

....

6. घर का पूरा पता स्पष्ट अक्षरों में –..

....पिन कोड...................

7. सम्पर्क नम्बर .... मोबाइल नम्बर ....ई–मेल ....

8. (अ) शैक्षणिक योग्यता का विवरण (प्रमाण पत्र संलग्न करें।)–

क्र	शैक्षणिक योग्यता	उत्तीर्ण का वर्ष	विषय	प्रमाण पत्र संलग्न करने पर(✓) लगाये
1	12वी.			
2	स्नातक			
3	स्नातकोत्तर			
4	एम फिल/पी.एच.डी			
5	अन्य शैक्षणिक योग्यता			
6	कम्पयूटर का ज्ञान(डिग्री यदि हो तो)			

9. बालकों के कल्याण के क्षेत्र मे कार्य का न्यूनतम सात वर्ष का अनुभव(**समस्त संस्थाओं के प्रमाण पत्र/पत्र संलग्न करें।**)–

क्र	क्षेत्र/संस्था/स्वतंत्र कार्य का नाम/विषय	अनुभव (दिनांक से दिनांक तक	अनुभव के कुल वर्ष	प्रमाण पत्र संलग्न करने पर(✓) लगाये
1				
2				
3				
4				

निरंतर......

10. पुलिस सत्यापन/अभ्यार्थियों के विरूद्ध कोई प्रकरण दर्ज है अथवा पूर्व में दोषसिद्ध हो तो उसका विवरण –

क्र	दर्ज प्रकरण	दोषसिद्ध/प्रचलित/दोषमुक्त
1		
2		
3		

नोट : कोई प्रकरण दर्ज न होने पर निरंक अंकित करे तथा यथासंभव पुलिस सत्यापन रिपोर्ट संलग्न करें।

10. किसी एक पर टिक (✓)करें –मेरा आवेदन एवं संलग्न दस्तावेज आर.टी.आई में दिये जाने हेतु मैं सहमत ( )/असहमत( ) हूँ।

11. कृपया निम्न प्रमाण पत्र स्वंय प्रमाणित कर संलग्न करें।

a. जन्म तिथि प्रमाण पत्र (पासपोर्ट/हाई स्कूल/हायर सेकेन्ड्री मार्कशीट/जन्म प्रमाण पत्र)।

b. शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र।

c. बालकों के क्षेत्र मे कार्य के समस्त अनुभव प्रमाण पत्र/पत्र।

d डिग्री प्राप्त व्यवसायरत व्यक्ति (practicing professional) होने का प्रमाण पत्र।

e निवास का प्रमाण। (आधार कार्ड/वोटर आईडी/पासपोर्ट/मूल निवासी प्रमाण पत्र)

f गृह/निवासरत जिले का पुलिस सत्यापन अथवा पुलिस को सत्यापन हेतु दिया आवेदन।

g आवश्यक शपथपत्र नोटरी पर जिसमे निम्नलिखित प्रमाणिकरण आवश्यक है।

- दिवालिया न होने का।
- बोर्ड या समिति के सदस्य के रूप में चयनित होने पर अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी राजनैतिक दल का पदाधिकारी नही रहूंगा।
- बोर्ड या समिति के सदस्य के रूप में चयनित होने पर अपने कार्यकाल के दौरान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी बाल देखरेख संस्था से जुड़ा नही रहूंगा।

(आवेदक के हस्ताक्षर)

घोषणा पत्र

श्री/श्रीमती/सुश्री................................घोषणा करता/करती हूं की मेरे द्वारा नियम एवं शर्तो का अवलोकन करने के पश्चात जो जानकारी आवेदन में दी गई है एवं जो वांछित दस्तावेज लगाये गये है वे वह पूर्ण रूप से सत्य और प्रमाणित है। किसी भी प्रकार की गलत जानकारी के लिये मै स्वयं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी। मुझे किसी भी अपराधिक प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध नही ठहराया गया है।

(आवेदक के हस्ताक्षर)

बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष/सदस्य हेतु आवेदन पत्र

जिले का नाम जिसके लिए आवेदन किया है– ....

पद का नाम, जिसके लिये आवेदन किया है(✓) लगाये :

1. केवल अध्यक्ष पद हेतु ☐
2. केवल सदस्य पद हेतु ☐
3. अध्यक्ष/सदस्य दोनो हेतु ☐

पासपोर्ट आकार का कलर फोटो चिपकाएं

1. पूरा नाम– ....

2. पिता/पति का नाम–...

3. जन्म तिथि(अंको एवं शब्दों में) –...(प्रमाण पत्र संलग्न करें।)

4. वर्तमान व्यवसाय...

5. यदि व्यवसायरत कृति है तो वर्तमान में कहाँ कार्य कर रहे है।(प्रमाण पत्र संलग्न करें।)

....

6. घर का पूरा पता स्पष्ट अक्षरों में –...

....

....पिन कोर्ड.....................

7. सम्पर्क नम्बर .... मोबाइल नम्बर ....ई–मेल ....

8. (अ) शैक्षणिक योग्यता का विवरण (प्रमाण पत्र संलग्न करें।)–

क्र	शैक्षणिक योग्यता	उत्तीर्ण का वर्ष	विषय	प्रमाण पत्र संलग्न करने पर(✓) लगाये
1	12वी.			
2	स्नातक			
3	स्नातकोत्तर			
4	एम फिल/पी.एच.डी			
5	अन्य शैक्षणिक योग्यता			
6	कम्पयूटर का ज्ञान(डिग्री यदि हो तो)			

9. बालकों के कल्याण के क्षेत्र मे कार्य का न्यूनतम 07वर्ष का अनुभव(**प्रमाण पत्र संलग्न करें।)–**

क्र	क्षेत्र/संस्था/स्वतंत्र कार्य का नाम/विषय	अनुभव (दिनांक से दिनांक तक)	अनुभव के कुल वर्ष	प्रमाण पत्र संलग्न करने पर(✓) लगाये
1				
2				
3				

10. पुलिस सत्यापन/अभ्यार्थियों के विरूद्ध कोई प्रकरण दर्ज है अथवा पूर्व में दोषसिद्ध हो तो उसका विवरण –

क्र	दर्ज प्रकरण	दोषसिद्ध/प्रचलित/दोषमुक्त
1		
2		

नोट : कोई प्रकरण दर्ज न होने पर निरंक अंकित करे तथा यथासंभव पुलिस सत्यापन रिपोर्ट संलग्न करें।

10. किसी एक पर टिक (✓)करें –मेरा आवेदन एवं संलग्न दस्तावेज आर.टी.आई में दिये जाने हेतु मैं सहमत ( )/असहमत( ) हूँ।

11. कृपया निम्न प्रमाण पत्र स्वंय प्रमाणित कर संलग्न करें।

a. जन्म तिथि प्रमाण पत्र (पासपोर्ट/हाई स्कूल/हायर सेकेन्ड्री मार्कशीट/जन्म प्रमाण पत्र)।

b. शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र।

c. बालकों के क्षेत्र मे कार्य के समस्त अनुभव प्रमाण पत्र/पत्र।

d डिग्री प्राप्त व्यवसायरत व्यक्ति (practicing professional) होने का प्रमाण पत्र।

e निवास का प्रमाण। (आधार कार्ड/वोटर आईडी/पासपोर्ट/मूल निवासी प्रमाण पत्र)

f गृह/निवासरत जिले का पुलिस सत्यापन अथवा पुलिस को सत्यापन हेतु दिया आवेदन।

g आवश्यक शपथपत्र नोटरी पर जिसमे निम्नलिखित प्रमाणिकरण आवश्यक है।

- दिवालिया न होने का।
- बोर्ड या समिति के सदस्य के रूप में चयनित होने पर अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी राजनैतिक दल का पदाधिकारी नही रहूंगा।
- बोर्ड या समिति के सदस्य के रूप में चयनित होने पर अपने कार्यकाल के दौरान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी बाल देखरेख संस्था से जुड़ा नही रहूंगा।

(आवेदक के हस्ताक्षर)

घोषणा पत्र

श्री/श्रीमती/सुश्री...............................घोषणा करता/करती हूं की मेरे द्वारा नियम एवं शर्तो का अवलोकन करने के पश्चात जो जानकारी आवेदन में दी गई है एवं जो वांछित दस्तावेज लगाये गये है वे वह पूर्ण रूप से सत्य और प्रमाणित है। किसी भी प्रकार की गलत जानकारी के लिये मै स्वयं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी। मुझे किसी भी अपराधिक प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा दोषसिद्व नही ठहराया गया है।

(आवेदक के हस्ताक्षर)